

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जून 2011—ज्येष्ठ 23, शक 1933

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2011

क्र. एफ-3-3-2011-सत्रह-मेडि-1.—औषधि एवं प्रशासन सामग्री नियम 1945 के नियम 59 के उप-नियम (1) तथा 67-क के अनुसरण में, राज्य शासन एतद्वारा श्री जान प्रवीण कुजूर, औषधि निरीक्षक, श्री अजय कुमार मीणा, औषधि निरीक्षक, श्री प्रीत स्वरूप औषधि निरीक्षक एवं श्रीमती तबस्तुम मेरोठा औषधि निरीक्षक को, उक्त नियमों में भाग-6 और 6-क के प्रयोजन के लिये उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

F. No. 3-3-2011-XVII-Medi-1.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 59 and rule 67 A of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the State Government hereby, appoints Shri John Praveen Kujur, Drug Inspector, Shri Ajay Kumar Meena, Drug Inspector, Shri Preet Swaroop, Drug Inspector and Smt. Tabassum Merotha, Drug Inspector to be the Licensing Authority for the purpose of Part VI and VI-A of the said rules for the areas within their respective jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.